कार्यालय जिलाधिकारी, देवरिया।

संख्या– 1216 /जनगणना–2016, दिनांक 19 जुलाई, 2016

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी कार्य में क्षेत्र से प्राप्त संशोधनों एवं न व्यक्तियों के डेटाबेस को समाहित करने हेतु डाटा सेन्टर की स्थापना करवाते हुए इस कार्य को 120 दिवस में पूर्ण कराया जाना है। इस कार्य हेतु जिला स्तर पर डाटा सेन्टर की स्थापना करवाने हेतु सेवा प्रदात (वेण्डर) का चयन टेण्डर द्वारा किया जाना है। इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा 04 रू0 प्रति रिकार्ड की द से तथा अनुपस्थित सदस्यों यथा बहिर्प्रवासित एवं मृत सदस्य के आंकड़े हेतु 1 रू0 प्रति रिकार्ड की दर स्वीकृति दी गयी है। इस धनराशि में डाटा सेन्टर की स्थापना (पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर की व्यवस्था, पाव बैकअप, डाटा डाउनलोड हेतु इण्टरनेट की सुविधा, पेयजल, प्रसाधन जैसी मूल भूत सुविधाये, पर्यवेक्षकों हेतु अलग से कक्ष), प्रशिक्षण, आपरेटरों का चयन, आपरेटरों का वेतन, सुपरवाइजरों (पर्यवेक्षकों) का मानदेय इत्यादित सभी खर्चे शामिल है। इस कार्य को करने हेतु इच्छुक सेवा प्रदाताओं से दिनांक 29.07.52016 तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म जिला जनगणना कार्यालय देवरिया से दिनांक 19.07.2016 के पूर्वान्ह 10.00बजे से दिनांक 29.07.2016 के मध्यान्ह 12.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में नियत शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 29.07.2016 को अपरान्ह 3.00बजे तक कार्यालय के टेण्डर वाक्स में डाली जायेगी। निविदा के नियम व शर्ते जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर, जिला जनगणना कार्यालय, देवरिया में व deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है। निविदा दिनांक 29.07.2016 के अपरान्ह 4.00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) देवरिया की अध्यक्षता में समिति व निविदादाता की उपस्थिति में उनके कार्यकक्ष में खोली जायेगी।

(अनिता श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी,
देवरिया।

संख्या– 1216 (01-06) /जनगणना–2016,तद्दिनांक–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, लखनऊ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया।
3– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, देवरिया को एन0आई0सी0 देवरिया के वेवसाइट पर डालने हेतु।
4– सहायक सूचना निदेशक, देवरिया ।
5– सम्पादक, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला जनपद देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम स्पेस में आगामी अंक में प्रकाशित कर समाचार पत्र की तीन प्रतियां एवं बिल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

19.7-16
जिलाधिकारी,
देवरिया।

कार्यालय जिलाधिकारी देवरिया।

निविदा सूचना

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी कार्य में क्षेत्र से प्राप्त संशोधनों एवं नए व्यक्तियों के डेटाबेस को समाहित करने हेतु जिला मुख्यालय पर डाटा सेन्टर की स्थापना करवाते हुए इस कार्य को 120 दिवसों में पूर्ण कराने हेतु सेवा प्रदाता (वेण्डर) का चयन निविदा के माध्यम से किया जाना है। इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा 04 रू0 प्रति रिकार्ड की दर से तथा अनुपस्थित सदस्यों यथा बहिर्प्रवासित एवं मृत सदस्य के आंकड़े हेतु 1 रू0 प्रति रिकार्ड की दर से स्वीकृति दी गयी है। इस धनराशि में डाटा सेन्टर की स्थापना (पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर की व्यवस्था, पावर बैकअप, डाटा डाउनलोड हेतु इण्टरनेट की सुविधा, पेयजल, प्रसाधन जैसी मूल भूत सुविधाये, पर्यवेक्षकों हेतु अलग से कक्ष), प्रशिक्षण, आपरेटरों का चयन, आपरेटरों का वेतन, सुपरवाइजरों (पर्यवेक्षकों) का मानदेय इत्यादित सभी खर्चे शामिल है। डाटा आपरेटर न्यूनतम 10+2 पास कम्प्यूटर पर हिन्दी व अंग्रेजी में डाटा एंट्री कर सकने में सक्षम होना चाहिए। वेण्डर को आपरेटर के वेतन हेतु राज्य की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक पांच आपरेटर पर एक सुपरवाइजर कार्य करेगा। पर्यवेक्षक राज्य सरकार के उन कर्मियों को बनाया जायेगा, जिन्हें कॅम्प्यूटर पर कार्य करने की जानकारी है। पर्यवेक्षक द्वारा प्रत्येक आपरेटर के 20 प्रतिशत कार्य की गुणवत्ता की जांच की जायेगी इसके पश्चात पर्यवेक्षक द्वारा ईबी के अन्तिम आंकड़ों को एनपीआर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। । पर्यवेक्षक के मानदेय का भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा।

निविदा की शर्तों का विवरण

1–निविदा फार्म का मूल्य रूपया 500.00 होगा, जिसे नकद देकर दिनांक 19.07.2016 से 29.07.2016 के मध्यान्ह 12.00बजे तक कार्यालय अवधि में जिला जनगणना कार्यालय देवरिया से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 29.07.2016 को अपरान्ह 3.00बजे तक कार्यालय में स्थित टेण्डर वाक्स में डाली जायेगी।

2–निविदादाताओं की जमानत धनराशि 50000.00 रूपये राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में बन्धक रखते हुए निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना धरोहर धनराशि के प्राप्त निविदाये अस्वीकृत कर दी जायेगी। धरोहर धनराशि तकनीकी भावपत्र–1 के साथ ही रखना अनिवार्य है।

3–निविदादाता फर्म को भारतीय कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत तथा सेवा प्रदाता (वेण्डर) का पंजीकरण, फर्म सर्विस टैक्स के अन्तर्गत पंजीकृत, फर्म ब्लैक लिस्टेट न हो, का शपथपत्र, पैन नम्बर हो, लेबर रंजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त, फर्म का अपना टिन नम्बर हो। संबंधित फर्म के पास गवर्नमेण्ट डिपार्टमेण्ट/पीएसयू/एटानेमस गवर्नमेण्ट वाडी में डाटा इन्ट्री के 03 वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। इन सभी प्रपत्रो/प्रमाणपत्रों की स्व प्रमाणित प्रति तकनिकी भावपत्र–1 के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

4–निविदा के दो भाग होगे प्रथम तकनीकी भावपत्र, दूसरा वित्तीय भावपत्र । तकनीकी भावपत्र स्वीकृत होने पर ही वित्तीय भावपत्र खोला जायेगा। शेष निविदा जो तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं होगी, उनके वित्तीय भावपत्र नहीं खोले जायेगे तथा निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।

5–तकनीकी भावपत्र तथा वित्तीय भावपत्र अलग–अलग–लिफाफों में मुहरबन्द करके लिफाफे के उपर निविदा सूचना संख्या तथा दिनांक का उल्लेख करते हुए दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में मुहरबन्द करके लिफाफे के उपर निविदा सूचना संख्या दिनांक का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात मु. 50000.00 का राष्ट्रीय बचत पत्र जो जिलाधिकारी देवरिया के पक्ष में जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा।

6–सेवा प्रदाता का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रू0 1000000.00 अथवा अधिक होने संबंधी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट से प्रमाणित फर्म की बैलेन्स सीट का संक्षिप्त विवरण विगत तीन वर्षो का, तकनीकी भावपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

7– राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी कार्य में क्षेत्र से प्राप्त संशोधनों एवं नए व्यक्तियों के डेटावेस की इंट्री हेतु 4.00रू0 एवं अनुपस्थित सदस्यों यथा बहिर्प्रवासित एवं मृत सदस्य के आंकड़े हेतु 1 रू0 प्रति रिकार्ड की दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। जिसके निमित्त निविदा आमंत्रित की गयी है। निविदा की न्यूनतम धनराशि की गणना **प्रति रिकार्ड मु0 4.00** के दर में प्राप्त न्यूनतम दर को दसगुना करने पर प्राप्त धनराशि व 1.00 रू0 की दर में प्राप्त न्यूनतम दर के योग को शामिल कर किया जायेगा। यथा–4.00 रू0 के दर में प्राप्त न्यूनतम निविदा दर 3.20रू0 है एवं 1.00रू0 के दर में प्राप्त न्यूनतम निविदा दर 0.70रू0 है तो कुल दर 3.20X 10= 32.00 व+0.70 =32.70रू0 होगा। इस 32.70रू0 के आधार पर अन्य फर्मो से प्राप्त दर की तुलना से प्राप्त न्यूनतम दर के फर्म को स्वीकृत किया जायेगा।

8–निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदादाताओं को नियम प्रपत्र एवं स्टाम्प पेपर व एग्रीमेन्ट की कार्यवाही करनी होगी, जिसमें सभी शर्ते अंकित होगी।

9–निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को जनपद मुख्यालय पर अधिकतम 10 दिन के अन्दर डाटा सेन्टर स्थापित करना होगा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर की व्यवस्था, पावर बैकअप, डाटा डाउनलोड हेतु इण्टरनेट की सुविधा, पेयजल, प्रसाधन जैसी मूल भूत सुविधाये, पर्यवेक्षकों हेतु अलग से कक्ष की स्थापना करनी होगी। पर्याप्त मात्रा में डाटा आपरेटर तथा 10 प्रतिशत आवश्यकता से अतिरिक्त रिजर्व के रूप में रखना होगा।

10–निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात अगले दिवस से 120 दिवसों में जिसमें 20 दिनों में आपरेटर व सुपरवाइजर का चयन व प्रशिक्षण तथा 10 दिवसों में डाटा सेन्टर का चयन तथा शेष 60 दिवसों के अन्दर डाटा इन्ट्री का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो स्वीकृति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

11–निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी देवरिया के पास सुरक्षित होगा।

(अनिता श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी,
देवरिया।

संख्या– 121) (P-7) / जनगणना–2016, दिनांक 19 जुलाई, 2016

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिलाधिकारी देवरिया कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

2–सभी निविदा फार्म के साथ एक प्रति।

3–मुख्य विकास अधिकारी देवरिया के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

4–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा प्रपत्र को देवरिया एनआईसी के वेवसाइड पर डालने हेतु।

5–सदस्य, निविदा समिति।

6–कार्यालय पत्रावली पर रखने हेतु।

19.7.16

जिलाधिकारी,
देवरिया।